न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 43/2011

1. सुशील कुमार एडवोकेट पुत्र काशीराम जाति ब्राहमण निवासी 1 के एम (ए) तहसील घड़साना हाल गली चूडग्रां खूह अन्दर लोहगढ़ गेट अमृतसर (पंजाब)।
2. रमेश कुमार पुत्र उत्तमचन्द जाति ब्राहमण निवासी 1 केएम (बी) तहसील घड़साना हाल हरीपुर तहसील देहरा जिला कागड़ा (हि.प्र.) —अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घडसाना।
2. अश्विनी कुमार पुत्र मुन्शीराम जाति ब्राहमण निवासी 1 केएमबी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. करतारसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी 1 के एम आबादी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. मनीराम पुत्र राहु जाति मेघवाल निवासी 2 के एम आबादी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर । ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी घड़सना

दिनांक 28.01.2011

उपस्थितः—

श्री सुशील कुमार गोदारा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

श्री राजीव जग्गा अभिभाषक रेस्पो सं. 2

श्री अशोक कुमार नायक अभिभाषक रेस्पो. सं. 3 व 4

निर्णय दिनांक 08.01.2018

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. 2 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी, घड़साना के समक्ष रा.का.अ.की धारा 183, 188 का पेश कर कथन किया कि वादी के नाम से चक 1 केएम (बी) के मु.न. 129/51 में 6.325 है. खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने पर वादी की उक्त भूमि के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 11 फुट पर प्रतिवादी सं. 2 व 4 ने नाजायज रूप से दबाई पाई गई एवं कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 32 फुट प्रतिवादी सं. 1 व 3 ने नाजायज रूप से दबाई पाई गई। वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा छोड़ने के लिए कहा लेकिन उनके द्वारा इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने तनकीयात कायम की गई । सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 28.01.2011 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में अधी.न्यायालय द्वारा जो तनकीवार निर्णय किया है वह उचित नहीं है। अधी.न्यायालय ने तीन वादों को निर्णय एक साथ किया है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन नहीं किया है। अधी.न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाष रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. सं. 2 की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज कब्जा करने पर भूमि की पैमाईश करवाई गई जिस पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा पाया गया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा अधी.न्यायालय में वाद पेश किया जो अधी. न्यायालय ने स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

8/1/16

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी घड़साना के निर्णय दिनांक 28.01.2011 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट द्वारा रेस्पो. की खातेदारी भूमि पर किये गये कब्जे को अवैध कब्जा मानकर कब्जा वापसी का दावा डिक्री के साथ अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा रेस्पो. की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है। पैमाईश में गलत कब्जा दर्शाया है। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 8/2006 अश्वनीकुमार बनाम सुशीलकुमार वगैरा, प्रकरण संख्या 72/2006 सुशीलकुमार बनाम अश्वनीकुमार, प्रकरण सं. 70 रमेश कुमार बनाम अश्वनी कुमार को इक्जाई कर एक साथ निर्णय किया है जिसका संक्षिप्त सार है कि विवादित आराजी रेस्पो. की खातेदारी होकर उसकी पैमाईश करवाने पर अपीलांट का, कब्जा विवादित आराजी पर साबित होने पर रेस्पो. का कब्जा वापिसी का दावा अन्तर्गत धारा 183 आरटीए डिक्री किया गया एवं अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वह रेस्पों. की कृषि भूमि की खातेदारी भूमि पर हस्तक्षेप न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। अधी.न्यायालय में इस सम्बन्ध में 6 तनकीयात कायम की जिस पर साक्ष्य संग्रहित होकर दावा डिक्री किया है बाबत अपीलांट की आपित्त का सार है कि पैमाईश गलत की गई है जो निर्णय का आधार है। अपीलाधीन आदेश के विवेचन हेतु विधि के प्रावधान एवं पत्रावली के तथ्य विश्लेषण योग्य है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में सीमाज्ञान के प्रावधान राजस्थान भू–राजंस्व (Land records) नियम 1957 के नियम 34(ii)के अनुसार किये जाने के प्रावधार है जिसकी Bare-reading है कि clause (iii) of Rule 34, substituted, namely ; (iii) (a) If any Khatedar or Gair Khatedar tenant desires to have his field surveyed and demarcated or to affix boundary marks along the periphery of his field, he shall apply for the same to the Tehsildar in the form prescribed below. Before making such application, he shall deposit

8/1/16

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

fee in the Government Treasury for the purpose at the rates and append a copy pf the Tresasury Challan with his application. प्रकरण हाजा में यह कानूनी प्रावधान है पूर्ण होकर अधी.न्यायालय की पत्रावली पर सीमाज्ञान की रिपोर्ट उपलब्ध है एवं सीमाज्ञान द्वारा अगर किसी की खातेदारी भूमि पर किसी अन्य का कब्जा साबित होने पर स्वाभावितक subsequent कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 में कब्जा वापिसी का दावा है जो इस परन्तुक के साथ डिक्री योग्य है कि यह निर्धारित समयावधि 12 वर्ष के अन्दर पेश किया हो जो अपील मीमों की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अधी.न्यायालय द्वारा तनकीयात विनिश्चय आधारित धारा 183 व अनुवृति अनुतोष धारा 188 दोनों ही धाराओं का दावा स्वीकार होना विधिसम्मत घोषित किया जा सकता है एवं अपीलांट द्वारा जिन बिन्दुओं को अपील मीमों में उठाया है उसका अनुतोष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 में सीमा विवाद के निपटाने से सम्बन्धित है। सम्बन्धित विधि की Bare-reading है कि All disputes concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111. [provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likehood of such a dispute arising. तथा विवाद के निपटारे के लिए भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है जिसकी Bare-reading है कि Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly. उपरोक्त विधिक प्रावधानुसार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रकरण हाजा में सीमा ज्ञान के आधार पर रेस्पो. की खातेदारी की भूमि पर अपीलांट का कब्जा वापसी व अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में अधी. न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की है तथा अपीलांट का अगर कोई सीमा विवाद का बिन्दु है तो वह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 पठित धारा 111 में उपलब्ध होने के विवेचन के साथ अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी. न्यायालयय द्वारा इक्जाई प्रकरणों के निर्णय भी यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर